

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 07.10.2024

“थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 576/2024 दहेज हत्या के अभियोग के एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल प्रयवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दहेज हत्या के अभियोग के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 07.10.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस की टीम को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 576/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर कि आपके थाना पर पंजीकृत मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त रुपराम पुत्र स्व0 श्री राम यादव बस स्टॉप कस्बा व थाना पुवायाँ पर खडा है कही जाने की फिराक मे है आने जाने वाले वाहनो को हाथ देकर रुकने का ईशारा कर रहा है जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर रोडवेज के पास से एक बारगी दबिश देकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम रुपराम उर्फ विकट यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव नि0 ग्राम पडरिया थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी बताया अभियुक्त को उनके जुर्म धारा से अवगत कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 12.45 बजे हस्व कायदा हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का पालन किया गया। उपरोक्त अभियुक्त को बाद विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 576/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रुपराम उर्फ विकट यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव नि0 ग्राम पडरिया थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 59 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्र0नि0 हरपाल सिंह बालियानन थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री शुभम कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2774 सन्देश कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर